

कार्यालय नगर पालिका तिजारा (अलवर)राज०

दिनांक-

राजस्थान स्टेट ग्रान्ट 1961 के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र
15 सितम्बर 1983 से तत्काल जाति के 40 वर्ष पूर्व के एव अनुसूचित जाति /
जनजाति के लिये 20 वर्ष पूर्व के 300 वर्गमीटर तक निर्मित भवना के नियमन हेतु

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. आयु.....जाति(यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
4. प्रार्थी का पता.....
5. स्थाई पता.....
6. दत्तमान पता.....

5. जिस स्थान पर कब्जा है उसका विवरण

- (1.) सर्वप्रथम कब्जा किसके द्वारा किया गया उसका नाम.....
- (2.) कब्जा करने का वर्ष.....
- (3.) कब्जा का स्वरूप.....
- (4.) कब्जा की गई भूमि को नाप ल०..... चौ०..... क्षेत्रफल.....
- (5.) निर्मित क्षेत्र को नाप ल०..... चौ०..... क्षेत्रफल.....
- (6.) निर्माण कि किस-कच्चा/पक्का.....
- (7.) सीमाओं का विवरण पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....

(8.) पड़ोसियों के नाम व पिता का नाम

- 1.....
- 2.....
- 3.....

6. कब्जे की गई भूमि का नक्शा (ब्यु प्रिन्ट की 3प्रतियां) जिसमें समस्त विवरण दर्शाए व सड़क से दूरी भी दर्शाए

7. कब्जेघारी का स्वयं का या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूमि या मकान नहीं है यदि है तो किसके नाम से है.....

8. 300 वर्गमीटर से अधिक भूमि हो तो किस भाग को नियमित किया जाना है किस भाग को छोड़ना है उसका विवरण.....

9. प्रार्थी अपने पक्ष में जो सबूत पेश करना चाहता है उसका विवरण एवं प्रमाणित प्रतिलिपि -

सबूत जो मान्य हैं- राशन कार्ड, बिजली-पानी का बिल, मतदाता सूचि में नाम, डाक से प्राप्त पत्र, पंचायत का पट्टा, व पालिका द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति, गृहकर व अन्य कर की रसीद जो 1985 से पूर्व की हो

अन्य कोई साक्ष्य जो लायित कर सकें कि प्रार्थी 15-9-1960/15-9-1980 से पूर्व से मकान बना कर काबिज है एवं मोहल्ले के ? प्रमुख व्यक्तियों का शपथ पत्र (जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम ना हो)

प्रमाणिकरण

मैं पुत्र श्री आयु पता
जाति.....

घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर मैं अथवा मेरा परिवार..... वर्षों से काबिज है तथा मेरे आवास के काम आ रहा है ।

स्थान-
दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर